नियमावली

1. संस्था का नाम — श्यामपती चन्द्रशेखर मिश्र शैक्षिक संस्थान
2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय — ग्राम लखनपुर शूर, पोस्ट सांगीपुर, प्रतापगढ़।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य — स्मृति पत्र के अनुसार
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग–

(अ) आजीवन सदस्य — संस्था को एक बार में 1001/– रू0 नकद या इतने मूल्य की चल अथवा अचल सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से प्रदान करेगा, वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे। संस्था के वर्तमान सातों प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य आजीवन सदस्य होंगे।

(ब) सामान्य सदस्य — जो व्यक्ति 101/– रूपये नकद वार्षिक शुल्क के रूप में जमा करता रहेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा।

(6) संस्था के सदस्यता की समाप्ति–

1. मृत्यु होने पर,
2. पागल अथवा दिवालिया होने पर
3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर
4. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर
5. अविश्वास प्रस्ताव व त्याग पत्र, पारित होने पर
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर
7. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर

(7) संस्था के अंग — (अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

(8) साधारण सभा–

1. गठन — सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।
2. बैठक — सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी, आवश्यक बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।
3. सूचना अवधि — सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जानी चाहिए।
4. गणपूर्ति — सभी प्रकार की बैठकों का कोरम 2/3 होगा। स्थगित बैठक में कोरम का प्रतिबन्ध न होगा परन्तु एजेण्डा के विषय पूर्ववत होंगें।
5. विशेष वार्षिक अधिवेशन —
वार्षिक अधिवेशन सत्र की समाप्ति पर वर्ष में एक बार होगा, जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
6. साधारण सभा के कर्तव्य —
   1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
   2. अधिवेशन में अन्य आवश्यक प्रस्ताव पारित करना।
   3. नियमावली में संशोधन परिवर्तन करना।
   4. संस्था की सदस्यता शुल्क में वृद्धि या कमी करना।
   5. संस्था का वार्षिक बजट प्राप्त करना व रिपोर्ट पारित करना।

(9) प्रबन्धकारिणी समिति–

1. गठनः— साधारण सभा द्वारा निर्वाचित प्रबन्धकारिणी समिति होगी जिसमे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक उपप्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष तथा अन्य 6 सदस्य होंगे जिनकी कुल संख्या 11 होगी।

सत्य प्रतिलिपि

शीला मिश्रा

चन्द्रशेखर मिश्र

नियमावली

1. संस्था का नाम — श्यामपती चन्द्रशेखर मिश्र शैक्षिक संस्थान
2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय — ग्राम लखनपुर शूर, पोस्ट सांगीपुर, प्रतापगढ़।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य — स्मृति पत्र के अनुसार
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग–

(अ) आजीवन सदस्य — संस्था को एक बार में 1001/– रू0 नकद या इतने मूल्य की चल अथवा अचल सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से प्रदान करेगा, वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे। संस्था के वर्तमान सातों प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य आजीवन सदस्य होंगे।

(ब) सामान्य सदस्य — जो व्यक्ति 101/– रूपये नकद वार्षिक शुल्क के रूप में जमा करता रहेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा।

(6) संस्था के सदस्यता की समाप्ति–

1. मृत्यु होने पर,
2. पागल अथवा दिवालिया होने पर
3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर
4. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर
5. अविश्वास प्रस्ताव व त्याग पत्र, पारित होने पर
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर
7. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर

(7) संस्था के अंग — (अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

(8) साधारण सभा–

1. गठन — सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।
2. बैठक — सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी, आवश्यक बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।
3. सूचना अवधि — सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जानी चाहिए।
4. गणपूर्ति — सभी प्रकार की बैठकों का कोरम 2/3 होगा। स्थगित बैठक में कोरम का प्रतिबन्ध न होगा परन्तु एजेण्डा के विषय पूर्ववत होंगें।
5. विशेष वार्षिक अधिवेशन —
वार्षिक अधिवेशन सत्र की समाप्ति पर वर्ष में एक बार होगा, जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
6. साधारण सभा के कर्तव्य —
   1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
   2. अधिवेशन में अन्य आवश्यक प्रस्ताव पारित करना।
   3. नियमावली में संशोधन परिवर्तन करना।
   4. संस्था की सदस्यता शुल्क में वृद्धि या कमी करना।
   5. संस्था का वार्षिक बजट प्राप्त करना व रिपोर्ट पारित करना।

(9) प्रबन्धकारिणी समिति–

1. गठनः– साधारण सभा द्वारा निर्वाचित प्रबन्धकारिणी समिति होगी, जिसमे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक उपप्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष तथा अन्य 6 सदस्य होंगे जिनकी कुल संख्या 11 होगी।

सत्य प्रतिलिपि

रीता मिश्रा

चन्द्रशेखर मिश्र

2. बैठकः– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल भर में कम से दो बार व विशेष बैठके आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

3. सूचना अवधि– प्रबन्धकारिणी बैठकों की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व लिखित सूचना के आधार पर दी जा सकती है।

4. गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों मे 2/3 सदस्यो की गणपूर्ति आवश्यक होगी। एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः बुलाई गयी बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा परन्तु एजेण्डा के विषय पूर्ववत रहेंगे।

5. रिक्त स्थानों की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति में यदि किसी प्रकार का कोई रिक्त स्थान होता है तो उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से शेष कार्यकाल तक के लिए होगी।

6. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य–

1. समय–समय पर बैठक बुलाना तथा अन्य आवश्यक कार्य हेतु प्रस्ताव पारित करना।
2. संस्था के लिए आय का साधन जुटाना तथा आय की स्वीकृति प्रदान करना।
3. विद्यालय से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को बनाये रखना और प्रबन्धक के सुझावानुसार कार्य करना।
4. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
5. संस्था के सभी उद्देश्यों की पूर्ति तथा उन्नति के आवश्यक कार्य करना।

7. कार्यकाल :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

(10) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

अध्यक्ष –
1. सभी प्रकार के बैठकों की अध्यक्षता करना तथा विकास का कार्य करना।
2. त्याग पत्र स्वीकार करना।
3. बैठक स्थगित करना।
4. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा सदस्यों से चन्दा प्राप्त कर यथा विधि रसीद देना।
5. साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की स्वीकृति देना।
6. समान मत होने पर अपना एक निर्णायक मत देना।

उपाध्यक्ष – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यभार को ग्रहण करना तथा उनके द्वारा दिये गये कार्यों को पूर्ण करना।

प्रबन्धक–
1. संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा।
2. संस्था में समस्त कार्यों के मुख्यापालक के रूप में सम्पादित करेगा।
3. समिति के निर्देशों के अधीन रहते हुए संस्था की समस्त सम्पत्तियों तथा धनराशियों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा विनीयोजन का प्रबन्ध करना।
4. संस्थान के संबंधित समस्त अनुबन्धों तथा संस्थान की अचल सम्पत्ति से संबंधित संवैधानिक समस्त अभिलेखों तथा अन्य लेखों पर हस्ताक्षर करना।
5. संस्थान के मामलों से संबंधित समस्त विधिक कार्यवही में प्रतिनिधित्व करना और उन कार्यवाही एवं मामलों में उनकी ओर से अभिकथन करना तथा उन्हें सत्यापित करना।
6. संस्था भवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
7. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा सदस्यों से चन्दा प्राप्त कर यथा विधि रसीद देना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटी तथा चिट्स

5. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पते, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है :–

क्र0	नाम	पता	पद	व्यवसार
1.	श्रीमती रीता मिश्रा पत्नी श्री अजीत कुमार मिश्र	ग्राम लखनपुर शूर, सांगीपुर, जनपद–प्रतापगढ़।	अध्यक्ष	गृहणी
2.	श्रीमती अशोक देवी पत्नी श्री अरविन्द्र कुमार मिश्र	ग्राम लखनपुर शूर, सांगीपुर, जनपद–प्रतापगढ़।	उपाध्यक्ष	गृहणी
3.	श्री चन्द्रशेखर मिश्र पुत्र श्री भाल चन्द्र मिश्र	ग्राम लखनपुर शूर, सांगीपुर, जनपद–प्रतापगढ़।	प्रबन्धक	कृषि
4.	श्रीमती गुड्डन मिश्र पुत्र श्री दिलीप कुमार मिश्र	ग्राम लखनपुर शूर, सांगीपुर, जनपद–प्रतापगढ़।	उपप्रबन्धक	गृहणी
5.	श्रीमती मिथिलेश पत्नी श्री दिनेश कुमार मिश्र	ग्राम लखनपुर शूर, सांगीपुर, जनपद–प्रतापगढ़।	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6.	श्री कृष्ण दत्त पाण्डेय पुत्र श्री मोहन लाल पाण्डेय	ग्राम वेनीपुर, कथोला, जिला प्रतापगढ़।	सदस्य	कृषि
7.	श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री शिव प्रसाद तिवारी	ग्राम कटरा फूल कुंवर दुधवरिया, जिला अमेठी।	सदस्य	कृषि
8.	श्री दिनेश नारायण तिवारी पुत्र श्री मुनेश्वर दत्त तिवारी	ग्राम शुकुलपुर, पोस्ट सांगीपुर, जनपद–प्रतापगढ़।	सदस्य	कृषि
9.	श्री सतन सरोज पुत्र श्री भग्गू	ग्राम लखनपुर शूर, सांगीपुर, जनपद–प्रतापगढ़।	सदस्य	कृषे
10.	श्री अरूण कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवमणि पाण्डेय	ग्राम लेबुड़ा, भवानीगढ़, पोस्ट शाहबरी, जिला प्रतापगढ़।	सदस्य	कृषि
11.	श्री रज्जन यादव पुत्र श्री राम आनन्द यादव	ग्राम लखनपुर शूर, सांगीपुर, जनपद–प्रतापगढ़।	सदस्य	कृषि

6. हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपर्युक्त स्मृति पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन की धारा 21 सन् 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया।

01-12-2012